

भाग- II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चिन्वालीसौड़ से कोट-बागी मोटर मार्ग के किमी० 7.00 से 10.00 कोट गाँव तक मोटर मार्ग निर्माण

- | | | | |
|-------|--|---|--|
| i) | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | - | उत्तराखण्ड राज्य |
| ii) | जिला | - | उत्तरकाशी |
| iii) | वन प्रभाग | - | उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी |
| iv) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | - | 0.398 है० |
| | वन की कानूनी स्थिति | - | आरक्षित/सिविल सोयम |
| v) | हरियाली का घनत्व | - | 0.6 |
| vi) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 - 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए | - | वृक्षों की परिगणना सूची संलग्न है। |
| vii) | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | - | भूक्षरण के लिए संवेदनशील नहीं है/भू-वैज्ञानिक आख्या संलग्न है। |
| viii) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | - | वन सीमा के अन्दर है। |
| ix) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव बार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए) | - | नहीं। |
| x) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्योरा दें। | - | नहीं। |
| xi) | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/ | - | नहीं। |
| xii) | रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्योरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या | - | |
| 8- | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्योरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। | - | प्रस्तावित वन भूमि अपरिहार्य एवं न्यूनतम है। |
| 9- | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं। | - | नहीं। |

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। - संलग्न है।
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। - संलग्न है।
- iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। - संलग्न है।
- iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। - संलग्न है।
- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। - संलग्न है।

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (गपए गपप) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

- संलग्न है।

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल

-

उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी/ पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 सिंचाईखण्ड, उत्तरकाशी

- i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र। - 80,1600 है०
- ii. जिला का वन क्षेत्र। - 695783.35
- iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से - 347 मामले तथा ~~420.63376~~ है० 1201.63376 है०
- iv. वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
- v. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल -
प्रतिकूल वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि - रिक्त
- (ख) वनेत्तर भूमि पर अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति - 487.50 है०
- (क) वन भूमि पर - रिक्त
- (ख) वनेत्तर भूमि पर - 487.50 है०

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने-
के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

कार्यदायी संस्था द्वारा वन सम्पदा की सुरक्षा हेतु समुचित प्रयास किया जायेगा अतः जनहित में संस्तुति दी जाती है।

दिनांक 15-12-2014

हस्ताक्षर

स्थान उत्तरकाशी

सरकारी मोहर

नाम

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी